

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
कृषि निर्यात को बढ़ावा देना

1377. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पंजाब से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में किसानों के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) पंजाब के कृषि उत्पादों के लिए बाजार संपर्क में सुधार हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों को अपनाने में किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) वाणिज्य विभाग कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के तहत पंजाब सहित देश भर से एपीडा के सदस्य निर्यातकों को निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

- i. **अवसंरचना विकास के लिए योजना** - पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों सहित पैकहाउस सुविधाओं की स्थापना, शीत भंडारण और प्रशीतित परिवहन आदि सहित प्री-कूलिंग यूनिट, केले जैसी फसलों की हैंडलिंग के लिए केबल प्रणाली, विकिरण, वाष्प ताप उपचार, हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट जैसी प्री शिपमेंट ट्रीटमेंट सुविधाएं और सामान्य अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने, रीफर वैन और व्यक्तिगत निर्यातकों के मौजूदा अवसंरचना में मिसिंग गैप को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता।
- ii. **गुणवत्ता विकास के लिए योजना** - प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण की खरीद, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, जल, मृदा, अवशेषों और कीटनाशकों आदि का पता लगाने और परीक्षण के लिए फार्म स्तर निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हस्तचालित उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।
- iii. **बाजार संवर्धन के लिए योजना**- इस सहायता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानक विकसित करना तथा मौजूदा मानकों को उन्नत करना शामिल है।

पंजाब से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ विशिष्ट उपायों का विवरण अनुबंध-1 के रूप में संलग्न किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1377 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बासमती चावल, ताजे फल और श्रीअन्न जैसे कृषि उत्पादों को सहायता देने के लिए पंजाब में निर्यातोन्मुखी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पहल की गई है:

- पैकहाउस और कोल्ड स्टोरेज:** एपीडा ने निर्यातकों को लुधियाना में पैकहाउस से खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात को विकसित करने और सुव्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान की है ताकि ताजा उत्पाद के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जा सके। ये सुविधाएं किन्नु, अन्य फलों और सब्जियों जैसे ताजे उत्पादों के निर्यात के लिए वैश्विक मानकों का पालन करती हैं। 28 जून, 2024 को पंजाब से लीची की पहली खेप लंदन निर्यात की गई है।
- सिडनी को श्रीअन्न का निर्यात:** एपीडा की मदद से, 30 जनवरी, 2024 को, पंजाब के संगरूर से निर्यातक बने किसान द्वारा श्रीअन्न की 13 किस्मों और संबंधित मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली खेप सिडनी, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की गई।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** एपीडा ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर अवशेष मुक्त खेती और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पंजाब में 2024 के दौरान कुल 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें एफपीओ, सहकारी समितियों, स्टार्टअप, पीएसीएस (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) सहित 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- किन्नु निर्यात संवर्धन:** एपीडा बेहतर पैकेजिंग और विपणन के साथ खुदरा श्रृंखलाओं के माध्यम से खाड़ी देशों को किन्नु निर्यात की सुविधा प्रदान कर रहा है। अबोहर, फाजिल्का, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, मोगा और बठिंडा सहित पंजाब के विभिन्न जिलों से किन्नु के निर्यात के लिए आयातकों/खरीदारों के साथ निर्यातकों को जोड़ने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। किन्नु के निर्यात को बढ़ाने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजार खोलने और बेहतर व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के प्रयास चल रहे हैं ।
- उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) के कार्यान्वयन हेतु पहल:** चावल के निर्यातकों को विशेष रूप से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे गंतव्यों के लिए जीएपी कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया है।
